भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 857

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डिजिटलीकरण की प्रगति

857. श्री सलैयारासन डी.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डिजिटलीकरण प्रयासों की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उन उचित दर दुकानों (एफपीएस) का ब्यौरा क्या है, जिन्हें स्वचालित संचालन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है;

(ग) पीडीएस के डिजिटलीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और डिजिटलीकरण ने वितरण प्रक्रिया की कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता पर किस प्रकार प्रभाव डाला है;

(घ) क्या डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद पीडीएस संसाधनों की हेराफेरी और रिसाव में कोई मापनीय कमी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) लाभार्थियों के सत्यापन हेतु एफपीएस पर आधार आधारित प्रमाणीकरण और ई-पॉइंट ऑफ़ सेल (ई-पीओएस) मशीनों का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) पीडीएस के अंतर्गत डिजिटल समाधान लागू करने में विशेषकर दूरदराज़ या ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने विशेषकर कल्लाकुरीची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध डिजिटल पीडीएस संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सतत सुधारों के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड और लाभार्थी डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटाइज़ कर दिया गया है। आज की तारीख में, देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 99.8% अर्थात 5.50 लाख एफपीएस को आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके खाद्यान्न वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वचालित कर दिया गया है। इसके अलावा, 99.2% लाभार्थियों को आधार से जोड़ा जा चुका है, और 98.5% खाद्यान्न वितरण आधार बायोमेट्रिक और आइरिस प्रमाणीकरण सहित डिजिटल प्रमाणीकरण माध्यमों से किया जा रहा है।

...2/-

(ख): कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 766 उचित दर दुकानें (एफपीएस) हैं। इन सभी एफपीएस को ई-पीओएस उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, और वर्तमान में 758 एफपीएस पूरी तरह से ऑनलाइन और प्रचालन में हैं, जिससे खाद्यान्नों का स्वचालित और प्रमाणित वितरण संभव हो पा रहा है।

(ग): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के प्राथमिक उद्देश्य दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना, लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करना और खाद्यान्न की चोरी और हेराफेरी जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। वर्ष 2013 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों के परिणामस्वरूप-जिसमें राशन कार्ड और लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डुप्लीकेशन हटाना और डुप्लीकेट, अपात्र, मृत और स्थायी रूप से प्रवासी लाभार्थियों की पहचान करना शामिल है-सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2013 से 2025 की अवधि के दौरान सामूहिक रूप से 6.77 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए हैं, जिससे प्रणाली की अखंडता और प्रभावशीलता मजबूत हुई है और एनएफएसए के तहत प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों के लिए जगह बनी है।

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत डिजिटल प्रणालियों की शुरुआत से हेराफेरी और लीकेज में उल्लेखनीय कमी आई है। डिजिटलीकरण की पहलों, विशेष रूप से आधार सीडिंग, लाभार्थी डुप्लीकेशन हटाना और एफपीएस में ई-पीओएस आधारित प्रमाणीकरण से अपात्र लाभार्थियों के हेरफेर और शामिल किए जाने की संभावना काफी कम हो गई है। वर्ष 2013 से 2025 के बीच 6.77 करोड़ डुप्लीकेट और अपात्र राशन कार्डों को हटाना प्रणाली में बेहतर लक्ष्यीकरण और लीकेज में कमी का एक प्रमुख संकेतक है।

(ङ): आज की तारीख तक, देशभर में कुल 5.51 लाख एफपीएस में से 5.50 लाख एफपीएस (99.8%) को लाभार्थी सत्यापन और खाद्यान्न वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वचालित कर दिया गया है। इसके अलावा, 99.2% लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं, और 98.5% वितरण लेनदेन आधार बायोमेट्रिक और आइरिस प्रमाणीकरण सहित डिजिटल माध्यमों से प्रमाणित किए जा रहे हैं।

(च) और (छ): नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह विशेष रूप से दूरस्थ एवं नेटवर्क शैडो क्षेत्रों में इंटरनेट और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ढांचा खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अनेक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। लाभार्थियों को किसी भी ऐसी उचित दर दुकान से, जहाँ ई-पीओएस उपकरण कार्यशील हो, अपने पात्र खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जिससे स्थान-विशेष की कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त, ई-पीओएस उपकरणों में ऑफ़लाइन कार्यक्षमता भी होती है, जिससे सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी लेनदेन किया जा सकता है। ऐसे उपकरणों को समय-समय पर नेटवर्क से जुड़े क्षेत्र से जोड़ना आवश्यक होता है ताकि ऑफ़लाइन लेनदेन डाटा को केंद्रीय पीडीएस प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज़ किया जा सके।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के कारण किसी भी लाभार्थी को उसके पात्र खाद्यान्न से वंचित न किया जाए, जिसमें कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

*****